



थाना चिकासी

दिनांक-22.03.2024

थाना चिकासी पुलिस द्वारा अवैध देशी कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.03.2024 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा अभियुक्त लखन पुत्र रामकिशन अहिरवार को 15 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ तथा डेढ़ कुन्तल लहन को मौके पर नष्ट करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लखन पुत्र रामकिशन अहिरवार निवासी ग्राम बेंदा डांडा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 108/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम
2. मु0अ0सं0 07/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम
3. मु0अ0सं0 122/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम
4. मु0अ0सं0 356/2009 धारा 323/325/336 आईपीसी

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह
2. का0 मनोज कुमार
3. का0 हरिओम शर्मा

